न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 241सी /2025
रामनरेश सिंह बनाम् सुनील कुमार वगै0
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता–प्रफुल्ल कुमार
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता– उपस्थित नही हुए।

04.05.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज आदेश हेतू निर्धारित है। परिवादी की ओर से पैरवी है। मामले में न्यायालय शपथ पर बयान, जॉच साक्ष्य, एवं परिवाद पत्र का अवलोकन करती है। शपथ पर बयान के अनुसार घटना 11.07.2025 की हैं। शाम में 04 बजे का समय था। हम घर पर बैठे थे सुनील, अनिल ने हमे गाली–गलौज किया तथा मार'–पीट किया। सुनील कुमार बोले जान मार देंगे। मेरे गले मे गमछा डालकर खीचने लगा। तथा लाठी डण्डा से मार–पीट कर जख्मी कर दिये। मार–पीट का हमने ईलाज कराया। अभियुक्तगण जबरदस्ती पैसा मांगते है। हमने थाने में जाकर भी आवेदन दिया तथा अनुमंडल अधिकारी को भी दिया पर केस नही लिया। मेरे साथ जबरदस्ती अभियुक्तगण झगड़ा करते है।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में परिवादी ने कहा अभियुक्तगण मेरे भाई के लड़के है। झगड़ा जमीन विवाद का है।

प्रस्तुत मामला भा0 न्याय0 संहि0 के लागू होने से बाद का है अतः अभियुक्तो को नोटिस निर्गत किया गया है। अभियुक्त उपस्थित नही हुए। अभियुक्तो को मामलें में पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया और जब अभियुक्त नोटिस के बाद उपस्थित नही हुए तब दिनांक 21.04.2026 को सुनवाई का अवसर बंद किया गया और प्रस्तुत मामलें को आदेश पर निर्धारित किया गया।

प्रस्तुत मामले में जब न्यायालय परिवाद पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिवादी के बयान , जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय यह पाती है की मामलें में परिवादी के साथ सुनील कुमार, अनिल कुमार, ने लाठी–डण्डा से मार–पीट किया और धमकी दिया की जान मार देंगे। साक्षियो ने घटना का समर्थन किया है।

अब न्यायालय समस्त साक्ष्यों के आधार पर समस्त अभिलेख का अवलोकन करती है तब न्यायालय **भगवती देवी बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य 1975 ए. आई. आर.83 एस.सी. में दिए गए निर्देश जिसमें कहा गया है की शिकायत का संज्ञान लेना प्रारंभिक जॉच का हिस्सा है, संज्ञान का अर्थ यह नहीं है की आरोपी को दोषी माना जा रहा है बल्कि यह केवल यह तय करने के लिए है की मामला सुनवाई योग्य है की नहीं।**

अगर शिकायत प्रथम दृष्ट्या अपराध को दर्शाती है तो मैजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है, न्यायालय को प्रारंभिक चरण में अत्यधिक साक्ष्यों की मांग नहीं करनी चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय नुपुर तलवार बनाम केंद्रीय जॉच ब्यूरो (2012)11 एस.सी.सी. 465 में स्पष्ट कहा है की मैजिस्ट्रेट को शिकायत के तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए, अगर प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो संज्ञान लेने से इंकार नहीं किया जा सकता। संज्ञान के समय गहराई से साक्ष्य की सत्यता की जॉच करना आवश्यक नहीं है, यह कार्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर0आर0 चारी बनाम् उत्तरप्रदेश राज्य ए0आई0आर 1951 एस0सी0 207 में कहा है की संज्ञान लेने समय मैजिस्ट्रेट को सिर्फ यह देखना होता है की गयी शिकायत से अपराध के बारे में खुलासा होता है या नही। उस समय बहुत ज्यादा विस्तृत में देखने की आवश्यकता नही होती हैं।

CIVIL COURT ARWAL

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 241सी /2025
रामनरेश सिंह बनाम् सुनील कुमार वगै0
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता–प्रफुल्ल कुमार
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता– उपस्थित नही हुए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय निर्मलजीत सिंह हून बनाम् पश्चि0 बंगाल राज्य (1973)3एस0सी0सी0 753 में कहा है की संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट को केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना आवश्यक हैं। यह संतुष्टि बहुत उच्च स्तर की नही होनी चाहिए। यदि शिकायत में आवश्यक तत्व दिख जाये तो मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय कर्नाटक राज्य बनाम पी0पी0 राजू (2006)6 एस0सी0सी0728 में कहा है की संज्ञान के स्तर पर मैजिस्ट्रेट को सारे साक्ष्यों का मूल्यांकन नही करना होता है, सिर्फ अपराध बनने का संकेत ही काफी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय बिहार राज्य बनाम मुराद अली (1988)4 एस0सी0सी0655 में कहा है की मैजिस्ट्रेंट को संज्ञान लेने से पहले साक्ष्यों को गहराई से तौलने की आवश्यकता नही है, अगर न्यायिक संतुष्टि प्रथम दृष्टया होती है तब संज्ञान लिया जा सकता है।

न्यायालय के सामने परिवादी के द्वारा की गयी शिकायत के तथ्यों के विश्लेषण के संबंध में एक तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी के साथ अभियुक्तगण सुनील कुमार उर्फ सुमन कुमार तथा अनिल कुमार के द्वारा परिवादी के साथ मार–पीट, गाली–'गलौज एवं जान मारने की धमकी दी गयी। साक्षियो ने घ ाटना का समर्थन किया है। मामलें में मार–पीट, गाली–गलौज तथ धकमी का अपराध आकर्षित होता है। इस प्रकार से प्रस्तुत मामले में न्यायालय मामले में संज्ञान के स्तर पर जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित तथ्यों का अवलोकन करती है तो न्यायालय यह पाती है कि संज्ञान के समय न्यायालय केवल यह देखती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है या नहीं। प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि मामले में अतः प्रस्तुत न्यायालय मामले में अभियुक्तगण सुनील कुमार उर्फ सुमन कुमार तथा अनिल कुमारके विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 115(2), 351(2), 352/3(5) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाती है अतः **अभियुक्तगण सुनील कुमार उर्फ सुमन कुमार तथा अनिल कुमारके विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 115(2), 351(2), 352/3(5)** के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।

परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक–04.06.2026 तक समन की अपेक्षिताएं जमा करें।

लेखापित,

मनीष कुमार पाण्डेय
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

CIVIL COURT ARWAL